UPSI010037582026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, सीतापुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–685/2026

CIS No.- 1634/2026

सूरज अवस्थी, उम्र 24 वर्ष, पुत्र सिद्धु अवस्थी, निवासी- ग्रा० कितुरी, थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

........प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजक

अपराध संख्या–440/2025
धारा–305(e), 317(2), 331(4) B.N.S.
थाना–रामपुर मथुरा, जिला– सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

1- यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सूरज अवस्थी की तरफ से अपराध संख्या 440/2025 अंतर्गत धारा 305(e), 317(2), 331(4) B.N.S. थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से सूरज अवस्थी पुत्र सिद्धु अवस्थी ने स्वयं का शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन किया है कि उसने अपना प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष योजित किया है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

3- अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा CHO चँवर सिंह नरूका द्वारा थाना रामपुर मथुरा में दिनांक 23.11.2025 को मुख्य रूप से इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया था कि वह खनेवा मितौरा थाना रामपुर मथुरा में आयुष्मान आरोग्य मन्दिर सी.एच.ओ. का कार्य करता है। दिनांक 22/23.11.2025 की रात गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोर इन्वर्टर व बैटरी चोरी से उठा ले गये हैं। उसे आशा बहू रीसा मौर्या के पति कमलेश मौर्या के द्वारा फोन द्वारा सूचना मिली तभी उसे जानकारी हुई है।

4- वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना रामपुर मथुरा में अज्ञात चोर के विरूद्ध मु०अ०सं० 440/2025, धारा 305(e), 331(4) बी०एन०एस० में, अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-1 सीतापुर।

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे फर्जी रंजिशन फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसके विरुद्ध कुछ भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है तथा कथित साक्ष्य बनावटी है। उसने आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में घुस कर चोरी नहीं की है और न ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा है। कोई बरामदगी नहीं है। दिखाई गई बरामदगी फर्जी है। मामले में सह–अभियुक्त की जमानत दिनांक 22.04.2026 को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं०–01 सीतापुर द्वारा स्वीकार की गई है। पुलिस ने उसका रोल भी समान दिखाया है। उपरोक्त वाद में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामजद अभियुक्त नहीं है। वह दिनांक 20.03.2026 से जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6- अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

7- मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा अपराध संख्या–440/2025 की केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8- अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी चँवर सिंह नरूका के द्वारा थाना रामपुर मथुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अज्ञात चोरों के विरुद्ध, मुख्य रूप से इस आशय की पंजीकृत कराई गयी थी कि वह आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सी.एच.ओ. का कार्य करता है। दिनांक 22/23.11.2025 की रात को अज्ञात चोरों ने गेट का ताला तोड़कर इन्वर्टर व बैटरी चोरी कर ली है, जिसकी सूचना मुझे आशा बहू रीसा मौर्या के पति कमलेश मौर्या के द्वारा फोन पर दी गयी थी।

9- केस डायरी के पर्चा संख्या–04 दिनांकित 12.12.2025 पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में एफ.आई.आर. में वर्णित तथ्यों को ही दोहराए जाने की बात अंकित है।

10- केस डायरी के पर्चा संख्या–11 दिनांकित 20.03.2026 के अनुसार पुलिस के द्वारा, मुखबिर की सूचना पर, कितूरी घाट पुल के पास से एक व्यक्ति **सूरज अवस्थी** को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से बैटरी व 320 रुपये बरामद हुए। उक्त पर्चे पर यह भी अंकित है कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज अवस्थी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी कलाम उर्फ चपटी के साथ मिलकर चोरी की घटना कारित की थी। अभियुक्त के बयान के आधार पर मामले में धारा 305(e), 331(4) बी.एन.एस. के साथ–साथ धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी।

11- केस डायरी के पर्चा संख्या–17 दिनांकित 05.04.2026 के अनुसार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कलाम उर्फ चपटी को दुघट्टा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उक्त अभियुक्त के पास से 1,450/- रुपये बरामद किये जाना भी अंकित है। उक्त अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि उसने अपने साथी सूरज अवस्थी के साथ मिलकर दिनांक 23.11.2025 की रात को आयुष्मान

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-1 सीतापुर।

आरोग्य केन्द्र खनेवा मितौरा से ताला तोड़कर बैटरा व इन्वर्टर को चलते राहगीरों के हाथों 3,000/- रुपए में बेंच दिया था।

12- इस प्रकार उपरोक्त प्रपत्रों के अनुसार वादी ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध इन्वर्टर व बैटरी चुराए जाने के सम्बन्ध में, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। केस डायरी के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त सूरज अवस्थी का नाम, अन्य गिरफ्तार किये गये अभियुक्त कलाम उर्फ चपटी के बयान के आधार पर, प्रकाश में आया था। अभियुक्त कलाम उर्फ चपटी के पास से मात्र रुपये बरामद होने का तथ्य, केस डायरी में अंकित है।

13- केस डायरी के पर्चा संख्या–19 दिनांकित 19.04.2026 के अनुसार अभियुक्त सूरज अवस्थी को चोरी की गई बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त सूरज अवस्थी की नामजदगी प्रकाश में लाई गई। दिनांक 20.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध चल रहा है।

14– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सूरज अवस्थी** का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या 440/2025 अंतर्गत धारा 305(e), 317(2), 331(4) B.N.S. थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 30,000/- रूपये (तीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

(i). प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना, विवेचक के निर्देश पर यथा स्थान उपस्थित होगा।

(ii). प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में समान आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) प्रार्थी/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

दिनांक–22.06.2026

प्रभारी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1 सीतापुर।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-1 सीतापुर।

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.22 17:11:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Stp